

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर

खंड XXI

अंक 2

मई 2025



विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियम	2-3
II. वित्तीय बाजार	3
III. मुद्रा जारीकर्ता	3
IV. पर्यवेक्षण	3-4
V. प्रकाशन	4
VI. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4



संपादक की कलम से

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में मुंबई में अपनी केंद्रीय बोर्ड की 616वीं बैठक के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिविधियों और रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है, जिसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) में संशोधन एक प्रमुख गतिविधि है, जो जोखिम मूल्यांकन और तुलन-पत्र सुदृढ़ता के लिए एक परिष्कृत दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह पुनर्संतुलन, पारदर्शिता और राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए आकस्मिकताओं का प्रबंधन करने की रिज़र्व बैंक की क्षमता को मजबूत करता है।

एमसीआईआर के इस संस्करण में मौद्रिक, ऋण और वित्तीय स्थितियों में नवीनतम प्रवृत्तियों के साथ-साथ इन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है। हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 616वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 616वीं बैठक 23 मई 2025 को मुंबई में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। केंद्रीय बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की तथा 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा के अंतर्गत आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को तुलन-पत्र के 7.50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹2,68,590.07 करोड़ के अंतरण को मंजूरी दी। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रवी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, श्री नागराजू महिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. धोलकिया - बैठक में शामिल हुए।

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 मई 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट इसके केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक सांविधिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अप्रैल 2024 - मार्च 2025 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के कामकाज और गतिविधियों को शामिल किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट भारत के मौद्रिक, वित्तीय और डिजिटल परिदृश्य में प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करती है।

मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फीति संभावना

- **जीडीपी वृद्धि:** मजबूत घरेलू उपभोग और पूंजीगत व्यय के कारण वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 24 में 7.6% की वृद्धि के बाद है, जो लगातार तीसरे वर्ष 7%+ की वृद्धि को दर्शाता है।
- **मुद्रास्फीति:** हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 23 में 6.7% से वित्त वर्ष 24 में 5.4% तक कम हो गई, जबकि मूल मुद्रास्फीति 4.3% तक कम हो गई। आरबीआई का लक्ष्य वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति को अपने 4% के मध्यम अवधि लक्ष्य से नीचे रखना है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

- **तुलन-पत्र वृद्धि:** आरबीआई की तुलन-पत्र वित्त वर्ष 25 में 8.2% बढ़कर ₹76.25 लाख करोड़ हो गई।
- **अधिशेष अंतरण:** राजकोषीय समेकन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड ₹2.69 लाख करोड़ अंतरित किए गए।
- **आय वृद्धि:** उच्च वैश्विक ब्याज दरों और डॉलर की बिक्री से लाभ के कारण निवल आय में 27% की वृद्धि हुई।

मुद्रा प्रबंधन और डिजिटल पहल

- **करेंसी नोट:** रिज़र्व बैंक ₹2, ₹5 और ₹2,000 के नोटों की छपाई बंद कर देगा। मार्च 2025 तक, ₹2,000 के 98.2% नोट बैंकों को वापस कर दिए गए।
- **डिजिटल रुपया (ई२):** आरबीआई, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीवीडीसी) पायलटों के विस्तार की योजना बना रहा है, जिसमें ऑफ़लाइन कार्यक्षमता, प्रोग्रामेबिलिटी और सीमा-पारीय एप्लिकेशन शामिल हैं।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- **विनियामकीय सुधार:** आरबीआई, विनियमन के लिए सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, जो अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **डिजिटल उधार:** सुरक्षित और पारदर्शी उधार अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऋण इंटरफेस को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं।

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

- **वैश्विक चुनौतियाँ:** आरबीआई ने एआई अपनाने और जलवायु आघातों जैसी चुनौतियों, जो आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं, पर प्रकाश डाला है।
- **राजकोषीय नीति:** सरकार का लक्ष्य सकल बाजार उधार को वित्त वर्ष 24 में जीडीपी के 5.3% से घटाकर वित्त वर्ष 25 में 4.3% करना है, जिससे निजी निवेश के लिए धन में वृद्धि होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

डॉ. पूनम गुप्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

डॉ. पूनम गुप्ता ने 2 मई 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया था। उप गवर्नर के रूप में डॉ. गुप्ता मौद्रिक नीति विभाग, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, वित्तीय स्थिरता विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग तथा संचार विभाग का कार्यभार संभालेंगी।

I. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 23 मई 2025 को एक संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ़) जारी किया, जिसे केंद्रीय बोर्ड ने 15 मई 2025 को अपनी बैठक में मंजूरी दी, इसे हर पाँच वर्ष में ढांचे की समीक्षा करने के लिए डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुरूप एक आंतरिक समीक्षा के बाद जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी संशोधित ईसीएफ़ में, उभरते जोखिमों के विरुद्ध आघात-सहनीयता को मजबूत करने के लिए परिशोधन करते हुए मौजूदा ढांचे के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा गया है। प्रमुख परिवर्तनों में बाजार जोखिम बफर्स- जिसपर तुलन पत्र और उससे इतर दोनों मदों और लघु मुद्रा आस्तियों के लिए विचार किया जाता है, की गणना के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया शामिल है- जोकि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता जोखिम बफर्स की सीमा को तुलन-पत्र के 5.0% ± 1.5% तक बढ़ाता है और आकस्मिक जोखिम बफर सीमा को 4.5% - 7.5% तक समायोजित करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

नीतिगत वक्तव्य- विनियम निर्माण हेतु ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2025 को विनियमों के निर्माण हेतु ढांचा जारी किया, जिसमें विभिन्न अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के द्वारा या अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए विनियमों के निर्माण के लिए व्यापक सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। इसमें हितधारकों से परामर्श, प्रभाव विश्लेषण और विनियमों की समीक्षा से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है। यह ढांचा, विनियमों को जारी करने हेतु अत्यधिक पारदर्शिता और परामर्शी दृष्टिकोण के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को समर्थित और प्रदर्शित करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल उधार) निदेश, 2025

रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2025 को समेकित भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल उधार) निदेश, 2025 जारी किए, जो डिजिटल उधार में शामिल विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न विनियामकीय अनुदेशों को सुव्यवस्थित करते हैं। 26 अप्रैल 2024 को जारी परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर पहली बार निदेशों में एकाधिक उधारदाताओं से ऋण उत्पादों के एकीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डिजिटल उधार ऐप्स (डीएलए) की सार्वजनिक निर्देशिका के परिचालन संबंधी अंतिम अनुदेश शामिल हैं। इन निदेशों के अनुसार, आरई को 15 जून 2025 तक केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल के माध्यम से अपने डीएलए का विवरण प्रस्तुत करना होगा, पोर्टल 13 मई 2025 तक उपलब्ध हो जाएगा। 1 जुलाई 2025 तक आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध सार्वजनिक निर्देशिका का उद्देश्य ग्राहकों को किसी डीएलए का किसी आरई के साथ संबंध को सत्यापित करने में मदद करना है, जो केवल आरबीआई के सत्यापन के बिना आरई द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा पर आधारित है और आरई द्वारा अपनी प्रविष्टियों को संशोधित करने पर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

"नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के नाम में परिवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 मई 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S1134/16.13.216/2025-26 द्वारा सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" का नाम बदलकर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" कर दिया गया है। यह परिवर्तन दिनांक 16 मई 2025 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी, यूएई को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने के लिए मंजूरी

रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2025 को "भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने की योजना" के अंतर्गत एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी को भारत में डब्ल्यूओएस स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी दी। एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी वर्तमान में चेन्नई, गुरुग्राम और मुंबई में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत में शाखा मोड में बैंकिंग कारोबार कर रहा है। बैंक को भारत में अपनी मौजूदा शाखाओं के रूपांतरण के माध्यम से डब्ल्यूओएस स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

वैकल्पिक निवेश निधियों में आरई द्वारा निवेश संबंधी संशोधित निदेश

रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2025 को वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ़) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश के संबंध में संशोधित निदेशों का मसौदा जारी किया, जो 19 दिसंबर 2023 के पिछले दिशानिर्देशों और 27 मार्च 2024 को जारी स्पष्टीकरण के बाद संभावित सदाबहारीकरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी किए गए। बेहतर वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए और सेबी के नए समुचित सावधानी मानदंडों के प्रकाश में, यह मसौदा एआईएफ़ योजना में किसी एकल आरई के निवेश को उसकी निधि के 10% पर सीमित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें सभी आरई के लिए 15% की सामूहिक सीमा है। 5% तक के निवेश को प्रतिबंधों से छूट दी गई है, लेकिन यदि यह सीमा पार हो जाती है और एआईएफ़ का आरई की देनदार कंपनी में अधोवही ऋण जोखिम है, तो 100% प्रावधान आवश्यकता लागू होगी। सरकार के परामर्श से कार्यनीतिक एआईएफ़ को छूट दी जा सकती है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

केवाईसी का अद्यतन/ आवधिक अद्यतनीकरण- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 23 मई 2025 को केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतनीकरण- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय मंडल की 615वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 615वीं बैठक 15 मई 2025 को मुंबई में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में, मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) की समीक्षा की। उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता और केंद्रीय मंडल के अन्य निदेशक - श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, श्री नागराज मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्री सतीश के. मराठे, श्री एस. गुरुमूर्ति, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री वेणु श्रीनिवासन, श्री पंकज रमणभाई पटेल और डॉ. रवींद्र एच. धोलकिया ने बैठक में भाग लिया।

बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ संबंधी परिपत्र का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 23 मई 2025 को बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया, जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है। परिपत्र के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से 6 जून 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई। टिप्पणियाँ/ फीडबैक, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है या वैकल्पिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जा सकती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

II. वित्तीय बाजार

रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में स्व-विनियामक संगठन को मान्यता प्रदान करना

रिज़र्व बैंक ने 7 मई 2025 को विनियामक ढांचे के अंतर्गत लागू अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के मूल्यांकन के बाद, अपने द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों में एफआईएमएमडीए को एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

III. मुद्रा जारीकर्ता

महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹20 मूल्यवर्ग के बैंक नोट का निर्गम

रिज़र्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹20 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा, जिन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों की डिज़ाइन हर तरह से महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹20 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों जैसी ही है। रिज़र्व बैंक द्वारा अतीत में जारी किए गए ₹20 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 2 जून 2025 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, संचलन में ₹2000 के बैंकनोटों का कुल मूल्य 31 मई 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर ₹6,181 करोड़ रह गया है। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 बैंकनोटों में से 98.26% वापस आ गए हैं। ₹2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

IV. पर्यवेक्षण

मौद्रिक दंड

रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की विभिन्न धाराओं के तहत निम्नलिखित संस्थाओं पर मई 2025 के महीने के दौरान मौद्रिक दंड (₹1 लाख से अधिक) लगाया।

संस्था का नाम	राशि
बैंक ऑफ बड़ौदा	₹61.40 लाख
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	₹31.80 लाख
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	₹31.80 लाख
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	₹97.80 लाख
एक्सिस बैंक लिमिटेड	₹29.60 लाख
दि पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, महाराष्ट्र	₹7.50 लाख
दि हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र	₹3.00 लाख
दि डेक्कन मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई	₹2.00 लाख
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	₹1.00 करोड़
भारतीय स्टेट बैंक	₹1.728 करोड़
दि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक	₹1.00 लाख
मैंगलोर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, मैंगलोर, कर्नाटक	₹1.00 लाख
दि कर्नाटक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक	₹2.00 लाख
यस बैंक लिमिटेड	₹29.60 लाख
डॉएच बैंक एजी, भारत	₹50 लाख
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	₹63.60 लाख
ट्रांसेक्ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ('लेंडबॉक्स')	₹40 लाख
मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	₹2.10 लाख
कुणबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र	₹2.50 लाख

V. प्रकाशन

विनियमित बाजारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा पर कार्य दल

रिज़र्व बैंक ने 2 मई 2025 को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा पर कार्य दल की रिपोर्ट जारी की, जिसे आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। 7 फरवरी 2025 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा अनुसार गठित इस समूह की अध्यक्षता श्री राधा श्याम रथ, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की और इसे मौजूदा बाजार समय की समीक्षा करने, परिचालन चुनौतियों की पहचान करने, वैश्विक पद्धतियों की जांच करने और आगे की राह संबंधी सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया था। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के प्रबंधन संबंधी रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2025 को मार्च 2025 के अंत के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के प्रबंधन पर 44वीं अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट दो भागों में विभाजित है: भाग I में समीक्षाधीन छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की आवाजाही, आरक्षित निधि के मुकाबले बाह्य देयताओं की जानकारी, आरक्षित निधि की पर्याप्तता आदि से संबंधित गतिविधि शामिल हैं। आरक्षित निधि प्रबंधन के उद्देश्य, सांविधिक प्रावधान, जोखिम प्रबंधन की पद्धतियाँ, आरक्षित निधि के प्रबंधन के संबंध में आरबीआई द्वारा अपनाई गई पारदर्शिता और प्रकटीकरण पद्धतियों की जानकारी भाग II में शामिल की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2025 अपने मासिक बुलेटिन का मई 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में दो भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। चार आलेख हैं:

I. **अर्थव्यवस्था की स्थिति:** निरंतर व्यापार व्यवधान, उच्च नीतिगत अनिश्चितता और कमजोर उपभोक्ता मनोभाव वैश्विक संवृद्धि के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने आघात-सहनीयता दिखाई। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों ने अप्रैल में अपनी गति बनाए रखी। रबी की बंपर फसल और अधिक क्षेत्र में गर्मियों की फसलों की बुवाई, साथ ही 2025 के लिए अनुकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए शुभ संकेत हैं। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई 2019 के बाद से लगातार छठे महीने कम होकर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में निरंतर कमी है। घरेलू वित्तीय बाजार की भावनाएं, जो अप्रैल में तनावपूर्ण रहीं, मई के तीसरे सप्ताह से सुधरने लगीं।

II. **आर्थिक गतिविधि और बैंक नोट:** नए दृष्टिकोण: यह आलेख संचलन में बैंक नोटों पर आर्थिक गतिविधि के प्रभाव की जांच करता है, जिसमें औपचारिक क्षेत्र की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल आर्थिक गतिविधि के लिए प्रॉक्सी के रूप में उच्च आवृत्ति मासिक नाइटलाइट्स डेटा और औपचारिक आर्थिक गतिविधि के माप के रूप में कर संग्रह डेटा का प्रयोग करके यह विश्लेषण, कुल आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित करते हुए संचलन में नोटों (एनआईसी) पर औपचारिकता के प्रभाव को अलग करता है।

III. **डिजिटल फुटप्रिंट्स:** इंटरनेट सर्च के माध्यम से भारत के आवक पर्यटन को समझना: यह आलेख भारत में आवक पर्यटन को ट्रैक करने के लिए गूगल पर गंतव्य अंतर्दृष्टि (डीआईजी), जोकि एक गैर-पारंपरिक उच्च-आवृत्ति डेटा स्रोत है, का उपयोग करता है। डीआईजी, यात्रा-संबंधी खोजों के माध्यम से वैश्विक पर्यटन के रुझानों पर नज़र

रखता है। यह अध्ययन, विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) और विश्व के बाकी हिस्सों से भारत की यात्रा के लिए की गई गूगल खोजों के बीच संबंध की जांच करता है।

IV. **भारत में सब्जियों की कीमतों पर मौसम संबंधी विसंगतियों का प्रभाव:** सब्जियों की कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है और ये भारत के खाद्य और हेडलाइन मुद्रास्फीति में अहम भूमिका निभाती हैं। सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव अक्सर आपूर्ति पक्ष के व्यवधान से बढ़ जाता है, जो मुख्य रूप से मौसम के आघातों से प्रेरित होता है, जिसके लिए मौसम की बदलती परिस्थितियों की नियमित निगरानी की ज़रूरत होती है। यह अध्ययन इस बात की जांच करता है कि मौसम की विसंगतियाँ, विशेषतया बारिश और तापमान, भारत में सब्जियों की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। दो भाषण हैं:

I. श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर द्वारा भारत: प्रगति और समृद्धि में भागीदार

II. श्री एम. राजेश्वर राव, उप-गवर्नर द्वारा भारत में हरित और धारणीय वित्त के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण, विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर चर्चा पत्र

रिज़र्व बैंक ने 22 मई 2025 को एक चर्चा पत्र जारी किया, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पूंजी जुटाने के नए अवसरों का प्रस्ताव दिया गया है, इसमें विशेष शेयर प्रमाणपत्र (एसएससी) और प्रीमियम पर शेयर जारी करना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य यूसीबी, विशेष रूप से बड़े यूसीबी के पूंजी आधार और वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ाना है। इस शोध पत्र में यूसीबी की कुछ सीमाओं तक निवेशकों को स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयरों (पीएनसीपीएस) में ऋण देने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया गया है। हितधारकों से 15 जुलाई 2025 तक आरबीआई की वेबसाइट पर 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावों पर फीडबैक आमंत्रित किए गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

VI. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

मई 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1	दिनांक 2 मई 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	अप्रैल 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – मई 2025
4	मार्च 2025 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी संबंधी आंकड़े
5	अप्रैल 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
6	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – अप्रैल 2025